CASE NO: 529/23

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-809/MP/94/2022-RO-BH

श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला – रतलाम,
जिला कलेक्टर का कार्यालय,
रतलाम, मध्य प्रदेश 457001
ई मेल: dmratlam@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक **14/06/2023** को **04:00 PM** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

संदर्भ 1. दिनांक 08/12/2022 के रतलाम नई दुनिया दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर, शीर्षक- 'छात्रावास में छात्रा की संदिग्ध मौत, छत से गिरने का हवाला' के सम्बंध में।

संदर्भ 2. पुलिस अधीक्षक, रतलाम का पत्र क्र पुअ/रत/शिज/राष्ट्र.अ.ज.जा.आ./01/04-ए/2022, दिनांक18-01-2023

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 07/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

मोहर

NCST-MIC

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003